

झारखंड में अब संवदि महिला कर्मियों को मल्लिगा मातृत्व अवकाश

चर्चा में क्यों?

5 जुलाई, 2023 को मीडिया से मल्लि जानकारी के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवदि के आधार पर नयुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है, जसिसे अब संवदि पर नयुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त होगा।

प्रमुख बदि

- वदिति है कि पूर्व में संवदि पर नयुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था।
- मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिला कर्मियों पर लागू होगा, जो पछिले 12 महीनों में 80 दनि तक संवदि पर कार्य कर चुकी हों, उन्हें 180 दनि का मातृत्व अवकाश का लाभ मल्लिगा।
- यह अवकाश दो जीवति संतान के बाद हुए प्रसव पर लागू नहीं होगा। मातृत्व अवकाश के लयि संवदि राशछुट्टी पर जाने से पहले मलि अंतमि संवदि राशके बराबर होगा।
- उल्लेखनीय है कि मातृत्व लाभ ऐसे लाभ हैं जो महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद उनके अधिकारों की रक्षा के लयि प्रदान कयि जाते हैं। ये लाभ मातृत्व लाभ अधनियम, 1961 द्वारा शासति होते हैं।